भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3121 का उत्तर

ऑब्जर्वेशन कार/निरीक्षण कार/सैलून

3121. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा ऑब्जर्वेशन कार/निरीक्षण कार/सैलून का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देशभर में तत्संबंधी मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम रेलवे प्राधिकारियों के नाम क्या हैं;

(घ) यह व्यवस्था कब से शुरू की गई थी;

(ङ) क्या वर्तमान लोकतांत्रिक और परिणामोन्मुखी सार्वजनिक उद्यम प्रणाली को देखते हुए यह प्रणाली अभी भी उपयोगी है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं;

(च) क्या यह सच है कि रेलवे के गोल्ड पास, जिसके अनुसार वरिष्ठ रेल अधिकारी अपने परिवारों के साथ वर्ष भर रेलगाड़ी से यात्रा कर सकते हैं, उक्त ऑब्जर्वेशन कार/निरीक्षण कार अथवा सैलून का भी उपयोग करते हैं; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस व्यवस्था की समीक्षा करने का विचार है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने हेतु अपनी यात्रा के लिए निरीक्षण यान का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में, भारतीय रेल में 352 निरीक्षण यान उपलब्ध हैं।

रेल सेवक पास नियमों के अनुसार ड्यूटी के दौरान परिवार के सदस्यों को यात्रा प्राधिकार/पास से यात्रा करने की अनुमति है।

फील्ड निरीक्षण के लिए निरीक्षण यान अनिवार्य आवश्यकता है। स्थायी अनुदेशों के अनुसार रेल अधिकारियों को निरीक्षण रेलगाड़ियों को केवल निरीक्षण के उद्देश्य से उपयोग करने का निदेश है।

****